

संख्या:ई0डी0एन0-एच(5)सी(15)1/66 लेखा परीक्षा

उच्चतर शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश सरकार

दिनांक:

शिमला-171001

नवम्बर, 2022

सेवा में,

07 NOV 2022

1. All the Deputy Directors, (Hr. Edu.) in H.P.
2. The Dy. Director of Elementary Education, Kaza, Distt. Lahaul & Spiti H.P.
3. Registrar, Himachal Pradesh University, Shimla
4. All the Principals Govt. Degree Colleges in H.P.
5. All the Govt. Sanskrit Colleges in H.P.
6. The Principal, Govt College for Teacher Education, Dharamshala H.P.
7. The Principal SCERT Solan, H.P.
8. The Group Commander, NCC Group Headquarters, HP. Shimla-171004.
9. The Central Library Solan & State Library, Shimla
10. All the District Libraries in Himachal Pradesh
11. Incharge IT Cell (Internal) to please upload this letter in Department website

विषय:-

असमायोजित पड़े लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणी व पैरों के
समायोजन बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या वित-डी(सी0)15-3/2022 दिनांक 13.10.2022 व प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश के अ0शा0 पत्र AMG-II(C&R)/Arrears of accounts/2022-23/140 दिनांक 08.09.2022 से प्राप्त सूचना के आधार पर शिक्षा विभाग (उच्चतर) शिक्षा के 1893 निरीक्षण टिप्पणीयों के 5046 पैरों इसकी अनुपालना ना होने के कारण लम्बित पड़े है। पुराने लम्बित पैरों के समायोजन के लिये हर वर्ष निदेशालय मे तर्दथ समिति की बैठक का आयोजन किया जाता है। लेकिन हर बैठक में प्रायः यह अनुभव किया जाता है कि शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों से अधिकतर इन बैठकों मे ऐसे कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को बैठक में भाग लेने हेतु भेजा जाता है जिन्हें पैरों के संबंध में उचित जानकारी ही नही होती है और ना ही पैरों से संबंधित सहायक दस्तावेज/अभिलेख भी नही होते है। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया है कुछ अधीनस्थ कार्यालयों से तो इन बैठकों मे भाग ही नही लेते है, जिस कारण शिक्षा विभाग (उच्चतर) शिक्षा के लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण टिप्पणीयों व पैरों की संख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने कार्यालय से संबंधित तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें कि भविष्य में होने वाली तर्दथ समिति की बैठक मे सक्षम अधिकारियों/कर्मचारीयों को ही भाग लेने हेतु

प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करें और साथ में पैरों से सम्बन्धित सूचना पूर्ण तथ्यों तथा इसके सहायक दस्तावेजों के साथ ही प्रस्तुत करें ताकि तर्दथ समिति की बैठक में सुझावानुसार पुराने लम्बित सभी पैरों का समायोजन किया जा सकें।

इसकी अनुपालना करना सबसे जरूरी समझा जाये।

(डा० अमरजीत कुमार शर्मा),
शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला-171003।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार।
3. रक्षक नस्ति ।

डा० अमरजीत कुमार शर्मा),
शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश।